न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 07 / 2021
जीसीएमएस : 2021 / 58

1. गुड्डी देवी पत्नी सीताराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसएडी हाल 2 आईडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर
2. राजाराम पुत्र सीताराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसएडी हाल 2 आईडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर
3. शारदा देवी पुत्री सीताराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसएडी हाल 2 आईडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनाराम पुत्र दमुराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसएडी हाल 2 आईडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री भूपसिंह मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सिकन्दर सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 18 एसएडी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 46 / 41 में दर्ज अनुसार मु.नं. 11 प.नं. 208 / 350 की कुल 3.036है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में पंहुचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 18 एसएडी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 11 प.नं. 208 / 350 के कि.नं. 11 / 2 में 1 बिस्वा, कि.नं. 20–21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 5 बिस्वा यानि 0.063है.(पश्चिमी पासा) रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका / रिकार्ड जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्राथ्र्झी के नाम से चक 18 एसएडी का मु.नं. 11 प.नं. 208 / 350 के 3.036है. मय खाला भूमि के प्रार्थीगण जिसमें कि.नं. 1 ता 10, 11 ता 15 के प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। तथा कि.नं. 16 ता 25 व 11 ता 15 का कुछ भाग अप्रार्थी किशनाराम काबिज काश्तकार खातेदारी ऑन रिकार्ड दर्ज हैं। किशनाराम के कि.नं. 20 के पश्चिमी दिशा में मुताबिक पट[illegible] रिपोर्ट के दो कमरे व टयूबवेल लगा हुआ हैं तथा कि.नं. 11 / 2, 20–2[illegible] पश्चिमी दिशा में मिट्टी की पाल लगी हुई हैं। किशनाराम ने गुड्डी देवी आदि को कि.नं. 15–16–25 में आवागमन हेतु रास्ता दे रखा हैं। जिससे अप्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते हैं। इसलिए प्रार्थीगण कि.नं. 11–2[illegible] में रास्ता [illegible] के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि उक्त किलाजात में अप्रार्थी के मकान व टयूबवेल लगा हुआ हैं। अप्रार्थीगण किशनाराम अपने परिवार सहित निवास करता हैं। यदि अप्रार्थी के कि.नं. 11–20–21 में कमन व टयूबवेल को बंद कर व मकनों को तोडकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता हैं तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। कि.नं. 11 के अलावा कही भी टयूवैल का मीठा पानी नहीं मिला जो कृषि योग्य हो। काश्त का जरिया टयूबैल ही हैं। जिसको प्रार्थीगण रजिशवश बन्द करवाना चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Ver
Digitally signed by Sub
Chandra
Date: 2022.10.28 11:2
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने रास्ता के बदले कि.नं. 15 में किसकी भूमि दे रखी है। प्रार्थना पत्र अपील से अधिक जुर्माना सहित खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1202 दिनांक 24.08.2021 के द्वारा प्राप्त हुई रिपोर्ट अधूरी होने के कारण पुनः रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया जो पत्रांक राजस्व / 2022 / 1440 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट क्रमांक 1440 दिनांक 22.08.2022 के अनुसार चक 18 एसएडी मु.नं. 11 कि.नं. 1 ता 4 सालम, 5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025, 6 / 1 / 0.227, 6 / 2 / 0.0?? 7 ता 10 सालम, 11 / 1 / 0.102, 12 / 1 / 0.101, 13 / 1 / 0.101, 14 / 1 / 0.101, 15 / 1 / 0.088, 15 / 3 / 0.013 कुल 3.036है. कमाण्ड मय खाला भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम से चक 18 एसएडी मु.नं. 11 प.नं. 208 / 350 कि.नं. 11 / 2 / 0.151, 12 / 2 / 0.152, 13 / 2 / 0.152, 14 / 2 / 0.152, 15 / 2 / 0.140, 15 / 4 / 0.012, 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025, 17 ता 20 सालम, 21 / 2 / 0.202, 22 / 2 / 0.203, 23 / 2 / 0.202, 24 / 2 / 0.203, 25 / 2 / 0.177, 25 / 3 / 0.025 कुल 3.036है. कमाण्ड मय खाला रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में अवागमन हेतु चक 18 एसएडी प.नं. 08 / 350 मु.नं. 11 कि.नं. 11 / 0.013, 20–21 प्रत्येक में 0.025है. कुल 0.063है. पश्चिमी पासा रास्ता की मांग की है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मु.नं. 11 के कि.नं. 15–16–25 में पूर्वी पासा पर खाला के साथ साथ रास्ता देने बाबत सहमति व्यक्त की हैं। मौके पर कि.नं. 11–20–21 में लगभग 18–19 फुट चौड़ी व 6 फुट उंची मिटटी की पाल लगी हुई व कि.नं. 20 में पश्चिमी सीमा पर दो कच्चे कमरे बने हुए है तथ कि.नं. 15–25 में भी मिटटी की पाल बनी हुई हैं। अतः प्रार्थीगण को मु.नं. 11 के कि.नं. 11–20–21 में पश्चिमी पासा पर मिटटी की पाल के साथ–साथ अथवा कि.नं. 15–16–25 में पूर्वी पासा पर खाले के साथ साथ रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उक्त दोनों वैकल्पिक रास्ते स्वीकृतशुदा रास्ता से निकटतम दूरी पर उपलब्ध हैं।

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को उनकी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी पर हैं। अप्रार्थी जो मार्ग देने पर सहमति दी हैं उस पर मिटटी का भराव हैं, आवागमन संभव नहीं हैं। अतः वांछित कि.न. 11–20–21 में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि के कि.नं. 15–16–25 पूर्वी पासा में प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ता दिया हुआ हें, जिससे ही प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को रास्ते के बदले भूमि भी दे रखी हैं। यदि अप्रार्थी की भूमि कि.नं. 11–20–21 में से पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी के मकान तोड़कर, टयूबवेल बंद करना पडेगा जिससे अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मेरे स्वयं द्वारा भी उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास उनकी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण के पासा वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। चूंकि प्रार्थीगण के पासा उनकी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं हैं जिससे सिद्ध हैं कि प्रार्थीगण द्वारा की गयी रास्ता की मांग आवागमन अधिकार के लिए होकर रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1440 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा मुताबिक कि.नं. 11–20–21 में पश्चिमी पासा पर मिटटी की पाल के साथ–साथ अथवा कि.नं. 15–16–25 में पूर्वी पासा पर खाले के साथ साथ रास्ता दिया जाने की अभिशंषा की हैं। प्रार्थीगण द्वारा कि.नं. 11, 20, 21 में पश्चिमी पासा रास्ता देने की मांग की गयी हैं। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि कि.नं. 15–16–25 में खाला के साथ–2 उन्होंने प्रार्थीगण को रास्ता दे रखा हैं। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया हैं कि उक्त जगह पर मिटटी का अत्यधिक भराव हैं आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:06 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

संभव नहीं हैं, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को ही स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु उक्त दोनों रास्तों को विकल्प में प्रस्तावित किया हैं। न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा एवं प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझता है।

—: क्रियान्वयन आदेश :—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर चक 18 एसएडी के मु.नं. 11 प.नं. 208/350 के कि.नं. 11/2 में 1 बिस्वा यानि 0.013है., 20 मे दो बिस्वा यानि 0.025है., कि.नं. 21/2 में दो बिस्वा यानि 0.025है. कुल 0.063है. गै.मु. रास्ता पश्चिमी पासा पत्थर लाईन के साथ साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को मुआवजा के तौर पर रास्ता मे आई भूमि के समान भूमि देगा। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कि.नं. 15 की भूमि में से अप्रार्थी की भूमि के चिपती हुई 0.063है. भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा मे से कम करते हुए अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज करें तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:25:06 IST
Reason: SelfAttested